राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस–नोट :– **दिनांक :– 13.11.2014**

आयोग द्वारा दिनांक 27.07.2014 को आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा, 2013 के समस्त विषयों की उत्तर कुंजियाँ आयोग की वेबसाईट पर जारी कर आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थी। प्राप्त आपत्तियों की जाँच विषय विशेषज्ञों से करवा कर संशोधित उत्तर कुंजियाँ पुनः आयोग की वेबसाईट पर जारी कर पुनः आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। 16 विषयों– राजनीति विज्ञान, लाईफ साइंस, एन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, कम्प्यूटर साइंस, कैमिकल साइंस, लोक प्रशासन, इतिहास, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, विधि, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थ साइंस, जनसंख्या अध्ययन, संगीत में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई। अब इन विषयों पर नये सिरे से कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

इनके अतिरिक्त प्रथम प्रश्न पत्र (जनरल पेपर ऑन टीचिंग एण्ड रिसर्च एप्टीट्यूड) तथा द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र क्रमशः भूगोल, राजस्थानी, एज्यूकेशन, अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फिजिकल साइंस, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, विज्युअल आर्ट, कॉमर्स और मैनेजमेंट (कुल 14 विषय) पर प्राप्त आपत्तियों की कई विषय विशेषज्ञों से गहन जाँच करवाई जा चुकी है। जाँच पश्चात् संशोधित अंतिम उत्तर कुंजियाँ आयोग की वेबसाईट पर तीसरी बार दिनांक 13.11.2014 को जारी कर दी गई हैं।

यदि किसी अभ्यर्थी को अब भी इन 14 विषयों में से किसी विषय पर कोई आपत्ति हो दिनांक 17.11.2014 से 03 कार्य दिवस की अवधि अर्थात् 19.11.2014 को रात्रि 12.00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन आयोग की वेबसाईट पर दर्ज करवा सकता है। **आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। पूर्व में प्राप्त आपत्तियों के अलावा नई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 17.11.2014 से दिनांक 19.11.2014 को रात्रि 12.00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाऐंगी। ऑनलाइन आपत्तियों के लिये आयोग के ऑनलाईन आब्जेक्शन पोर्टल rpscexamsobjections.rajasthan.gov.in अथवा लिंक rpsc.rajasthan.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। ऑनलाईन आपत्तियों के लिए दिशा – निर्देश आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।** आपत्ति प्रामाणिक (Authentic) पुस्तकों के प्रमाण सहित प्रस्तुत करें । आपत्तियों के साथ प्रामाणिक (Authentic) पुस्तकों के प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा तथा वर्तमान में जारी की जा रही उत्तर कुंजियों के आधार पर उक्त परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकेगा।

उप सचिव